रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223661
CG-DL-E-11122020-223661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
No. 625] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 756(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का यह अभिमत है कि जहां तक भारत में एक बारगी यात्रा के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क के भुगतान से संबंधित ऐसे प्रावधानों का संबंध है, उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करते समय पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 8 के साथ पठित ओमान में यात्रा दस्तावेज न रखने वाले भारतीयों को निम्नलिखित के अध्यधीन छूट देना जनहित में आवश्यक और सुविधाजनक है :

(i) आपातकालीन प्रमाणपत्र शुल्क से केवल दिनांक 15.11.2020 से 31.12.2020 तक अर्थात ओमान सरकार द्वारा घोषित रियायत अवधि के दौरान किए गए आपातकालीन प्रमाणपत्र आवेदनों को ही छूट दी जाएगी;

(ii) इस आपातकालीन प्रमाणपत्र शुल्क से छूट का लाभ उठाने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को एक अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह सुविधा लेने की इच्छा परिलक्षित होती हो;

(iii) उपर्युक्त निर्दिष्ट सुविधा प्रदान करने के दौरान आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करते समय, इस अधिसूचना में अन्य किसी प्रावधान के होते हुए, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट नियम और पासपोर्ट नियमावली के सभी प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

[फा. सं. VI/401/22/2020]

जयंत एन. खोबरागड़े, संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2020

G.S.R. 756(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest, so to do, exempt Indians living in Oman having no travel document, from the operation of the provisions of section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passport Rules, 1980, in so far as such provisions relate to the payment of fees for issue of Emergency Certificate for one time travel to India subject to the following:

(i) the waiver of Emergency Certificate fees shall be applicable only for those Emergency Certificate applications made during the period 15.11.2020 to 31.12.2020 i.e. the grace period announced by the Government of Oman;

(ii) all applicants desirous to avail this waiver of Emergency Certificate fee shall have to submit an additional application indicating their wish to avail the facility;

(iii) save as otherwise provided in this notification, while issuing emergency certificate during the operation of the above said facility, all the relevant provisions of the Passports Act, Passport Rules and Passport Manual shall apply.

[F. No. VI/401/22/2020]

JAYANT N. KHOBRAGADE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.11 23:00:55 +05'30'